बीस्वा, किस्म बारानी प्रथम , 5– रिडमलसिंह , सांगसिंह पीसरान श्री दुर्जनसिंह 1/3, बुदेसिंह पुत्र श्री लादूसिंह 1/6, भवंरसिंह पुत्र श्री हेमसिंह, पदमकवंर पत्नि हेमसिंह 1/6 , सिकन्दरसिंह ,शम्भुसिंह पीसरान श्री भूपतसिंह, मोहनकवंर पत्नि श्री भूपतसिंह 1/3 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार खसरा नम्बर 705/5 रकबा 4 बीस्वा गैर मुमकिन ढाणी , 6– मानसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह, चन्द्रकवंर पुत्री नारायणसिंह, कोशल्या पत्नि श्री नारायणसिंह 1/7 , विशालसिंह , धनेसिंह, श्रवणसिंह , विरमसिंह पीसरान श्री छोटूसिंह, 4/7 गोगीदेवी पत्नि श्री मूलसिंह 1/7 , सायर कवंर पत्नि श्री छोटूसिंह 1/7 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार खसरा नम्बर 703 रकबा 4 बीस्वा गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 704 मे से रकबा 14 बीघा 19 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम ।

बन्टवारा प्रस्ताव के अनुसार दोनो पक्षकारान को आपत्ति नही है इसमे वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता भी विभाजन करवाने मे अपनी सहमती व्यक्त करते है । इस प्रकार से दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ की सहमती के अनुसार न्यायालय बन्टवारा प्रस्ता को स्वीकार करके प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित है ।

आदेश

अतः वादी का वाद व बन्टवारा प्रस्ता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम प्रतापनगर के खेत खसरा नम्बर 705

सहायक कलेक्टर, [illegible]

Scanned with CamScanner

	रकबा 4 बीस्वा, खसरा नम्बर 703 रकबा 4 बीस्वा, खसरा नम्बर 704 रकबा 29 बीघा 17 बीस्वा कुल रकबा 30 बीघा 5 बीस्वा भूमि बन्टवारा प्रस्ताव माफिक विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि बाद विभाजन प्रतिवादीगण वादी के हक हिस्से की विभाजित भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है । तहसीलदार बन्टवारा प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग समझा जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर हो । । सहायक कलक्टर, [illegible]	

Scanned with CamScanner